PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Tuesday 12th November 2013, Page: 2
Width: 14.22 cms, Height: 14.22 cms, a4, Ref: pmin.2013-11-12.42.17

दवा के क्लीनिकल टेस्ट पर पैथ व केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली (एजेंसियां)। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और गुजरात में 2009-10 के दौरान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से अनैतिक रूप से क्लीनिकल परीक्षण के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत अंतरराष्ट्रीयगैर सरकारी संगठन पैथ और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए।

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने महिलाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन समा की याचिका पर केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों से भी जवाब तलब किया है। न्यायालय ने इस याचिका को क्लीनिकल परीक्षण के मसले पर पहले से ही लंबित एक अन्य याचिका के साथ संलग्न करने का आदेश दिया जिसकी सुनवाई एक अन्य पीठ कर रही है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि गैर सरकारी संगठन पैथ ने 'प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टैक्कनालॉजी इन हेल्थ' लिखित रूप में सहमति प्राप्त करने की कानूनी और नैतिक औपचारिकता पर अमल नहीं किया और इससे गंभीर प्रतिकूल असर हुआ है।

याचिका में कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की किशोरियों और बेहद कम चिकित्सा सुविधाओं या चिकित्सा सुविधाओं के अभाव वाले क्षेत्र में परीक्षण की अनुमति देकर आचरण समिति ऐसे परीक्षणों में हिस्सा लेने वालों के अधिकारों की रक्षा करने के कर्तव्य में विफल रही है।

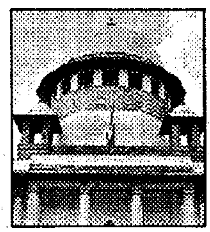

■ एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

याचिका के अनुसार क्लीनिकल परीक्षणों के दायरे में आने वाले लोगों के संरक्षण के लिए मौजूदा नैतिक और कानूनी संरचना अपर्याप्त है और इस पर फिर से विचार की जरूरत है।

इससे पहले न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने क्लीनिकल परीक्षणों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि ये परीक्षण देश की जनता के हित में होने चाहिए और सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पैमाना परीक्षण के दायरे में आने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में अपर्याप्त हैं। न्यायालय ने कहा था कि लोगों की सहमति के बगैर नई दवाओं के परीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने सिर्फ पांच दवाओं के परीक्षण की अनुमति देते हुए कहा था कि ऐसे परीक्षणों की आडियो और वीडियो रिकार्डिंग की जानी चाहिए। इसके साथ ही न्यायालय ने 157 दवाओं के परीक्षण के लिए कोई आदेश देने से इनकार कर दिया था।

केंद्र सरकार ने न्यायालय में दाखिल हलफनामे में स्वीकार किया था कि 2005 से 2012 के दौरान 475 दवाओं के क्लीनिकल परीक्षण के दौरान 2644 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी। इनमें से 80 मृत्यु का कारण क्लीनिकल परीक्षण बताया गया था। इसी तरह एक जनवरी, 2005 से 30 जून, 2012 के दौरान 11972 मामलों में दवाओं के प्रतिकूल असर की सूचना है जिसमें से 506 क्लीनिकल परीक्षणों से संबंधित थे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अनेक दवा कंपनियां विभिन्न राज्यों में मनमाने तरीके से क्लीनिकल परीक्षण कर रही हैं।

Regulatory.

G 68